न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

सत्यमेव
Web Copy - Not Official

वाद संख्या :– 03/138/2016

1. सुपर एक्सप्लोशिव प्रा0लि0 524, 526 सोमदत चैम्बर 11–9 भीखाजी कॉपलेक्स नई दिल्ली जरिये डाईरेक्टर किशोर खेमानी पुत्र श्री कन्हैया लाल खेमानी निवासी मिसन रोड सिन्धी पाडा पाकुंड झारखण्ड

.... प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब राजगढ
2. अबदुल्ला रहमान पुत्र रहमान रसुल जाति मेव जी–98 लाल कुआ नई दिल्ली

..............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित : श्री मोहन लाल जैमन एडवोकेट :– प्रार्थी

पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 23.10.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेंश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेंश कर निवेदन किया की हाल आराजी ख0नं0 1481/0.14, 1482/0.33, 1488/2 रकबा 0.84, 1488/3 रकबा 0.84, 1490/0.20, 1491/0.23, 1496/0.08, 1497/0.07, 1501/0.24, ख0नं0 1462/0.41 , 1460/0.35, 1461/0.59, 1463/0.41, 1466/0.65, 1465/0.68, ख0नं0 1464/1.23, 1465/0.47, 1472/0.10, 1473/0.11, 1475/0.12, 1476/0.11, 1477/0.10, 1483/0.61, 1486/0.25, 1487/0.15, 1488/1 रकबा 0.84, 1489/0.19, 1498/0.07, 1500/0.56, 1505/0.06, 1506/0.04, 1563/0.16 ख0नं0 1471/0.22, 1459/0.06, 1468/0.02, 1469/2.11, 1470/0.04, 1484/0.06, 1485/0.05 व ख0नं0 1459/2404/0.22, 1467/0.18, 1468/2403/0.06, 1469/2405/1.26 वाके ग्राम राजपुर बडा तहसील राजगढ में स्थित है जो आराजी प्रार्थी सुपर एक्सप्लोशिव प्रा0लि0 524, 526 सोमदत चैम्बर 11–9 भीखाजी कॉपलेक्स नई दिल्ली श्री खातेदारी की आराजी हैं। लेकिन उपरोक्त आराजी के रिकार्ड में जरिये अधिकृत व्यक्ति अबदुल्ला रहमान पुत्र रहमान रसुल जाति मेव जी–98 लाल कुआ नई दिल्ली कम्पनी के डायरेक्टर पद पर कार्यरत था। इसलिए उसका नाम दर्ज करा दिया था। यह है कि प्रार्थी सुपर एक्सप्लोशिव प्रा0लि0 524, 526 सोमदत चैम्बर 11–9 भीखाजी कॉपलेक्स नई दिल्ली के डायरेक्टर एवं कर्य कारिणी का का परिवर्तन होता रहता है। इसलिये उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में जो अधिकृत व्यक्ति अबदुल्ला रहमान पुत्र रहमान रसुल जाति मेव जी–98 लाल कुआ नई दिल्ली का नाम दर्ज करा दिया था। उसे हटाया जाना आवश्यक है। जिससे किसी व्यक्ति या सरकार के अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

अन्त में निवेदन किया की उपरोक्त आराजीयात हाल खाता संख्या 192, 359, 360, 361, 362, 400, 401 वाके ग्राम राजपुर बडा की खातेदारी आराजी में जो प्रार्थी सुपर एक्सप्लोशिव प्रा0लि0 524, 526 सोमदत चैम्बर 11–9 भीखाजी कॉपलेक्स नई दिल्ली के आगे अधिकृत व्यक्ति अबदुल्ला रहमान पुत्र रहमान रसुल जाति मेव जी–98 लाल कुआ नई दिल्ली का नाम दर्ज है उसे हजब किया जाकर आराजी की खातेदारी में सुपर एक्सप्लोशिव प्रा0लि0 524, 526 सोमदत चैम्बर 11–9 भीखाजी कॉपलेक्स नई दिल्ली का ही नाम रखा जाने की कृपा करें। पुष्टि में नामान्तरकरण संख्या 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261 व 1182 की तीन प्रतिया तथा विक्रय पत्र दिनांक 12.03.2014, 2803.2015 व डायरेक्टर अजीत कुमार शाह के पत्र दिनांक 05.01.2017 की प्रति पेंश की।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दोहराने सुनवाई वाद प्रकरण में प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल्स 10 जा0दी0 का भी पेंश हुआ जिसे बाद सुनवाई स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 पर बदुल्ला रहमान पुत्र रहमान रसुल जाति मेव जी–98 लाल कुआ नई दिल्ली को पक्षकार अप्रार्थी बनाया गया। जिसे जरिये रजिस्टर नोटिस तामिल करने के आदेश भी दिये गये। उक्त अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 20.08.2018 को जरिये रजिस्टर एडी0 तलब करने के बाद भी उपस्थित न्यायालय नही आने के कारण उसके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से जबाव /जॉच रिपोर्ट पेंश हुई।

मैने बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये उल्लेख किया की उक्त विवादित आराजी प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये रजिस्टर बयनामा खरीद की थी। उस समय कम्पनी की ओर से अधिकृत व्यक्ति अबदुल्ला रहमान पुत्र रहमान रसुल जाति मेव जी–98 लाल कुआ नई दिल्ली नियुक्त था। जिसके माध्यम से उक्त आराजी क्रय की गई थी। जिसके कारण रिकार्ड में कम्पनी के साथ उक्त अधिकृत व्यक्ति का जो उस समय कम्पनी द्वारा अधिकृत था का नाम भी रिकार्ड में दर्ज हो गया। चूकि कम्पनी के डायरेक्टर स्थाई नही होते है और डायरेक्टर एवं कम्पनी के कार्यकारिणी का परिवर्तन होता रहता है। इसलिये जो उक्त आराजी विवादित कम्पनी की खरीदशुद्वा आराजी में कम्पनी के नाम के साथ अधिकृत व्यक्ति अबदुल्ला रहमान पुत्र रहमान रसुल जाति मेव जी–98 लाल कुआ नई दिल्ली का नाम रिकार्ड में दर्ज हो गया है वह काबिल स्वीकार नही है । क्योकि इस प्रकार के इन्द्राज से कम्पनी के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है। वर्तमान में उक्त व्यक्ति का कम्पनी से कोई संबंध व सरोकार नही रहा है। इसलिये उक्त व्यक्ति का नाम जो रिकार्ड में दर्ज है उसे हजब किया जाना न्यायसंगत है। इस संबंध में कम्पनी के डायरेक्टर अजीत कुमार सहाय का पत्र दिनांक 05.01.2017 पेंश किया है साथ ही पुष्टि में जो दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261 व 1182 की तीन प्रतिया तथा विक्रय पत्र दिनांक 12.03.2014, 2803.2015 पेंश किये है से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार राजगढ की ओर से प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो की पुष्टि की है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

मैने बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का भी अवलोकन किया जैसा की प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261 व 1182 व हाल जमाबंदी वाके ग्राम राजपुर बडा में विवादित आराजी के खातेदारी कॉलम में सुपर एक्सप्लोशिव प्रा0लि0 524, 526 सोमदत चैम्बर 11–9 भीखाजी कॉपलेक्स नई दिल्ली जरिये अधिकृत व्यक्ति अबदुल्ला रहमान पुत्र रहमान रसुल जाति मेव जी–98 लाल कुआ नई दिल्ली नाम अंकित है। जैसा की प्रार्थी का कथन है कि आराजी कम्पनी के लिये क्रय की गई थी। उस समय कम्पनी की ओर से अधिकृत व्यकित अबदुल्ला रहमान पुत्र रहमान रसुल जाति मेव जी–98 लाल कुआ नई दिल्ली था। जिसके कारण उक्त आराजी की खातेदारी कॉलम में कम्पनी के साथ उक्त अधिकृत व्यक्ति का नाम भी रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया। चूकि कम्पनी के डायरेक्टर एवं कार्यकारिणी का परिवर्तन होता रहता है तथा वर्तमान में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त अबदुल रहमान का कम्पनी से कोई संबंध व सरोकार नही रहा है। इस तथ्य की पुष्टि कम्पनी के डायरेक्टर के पत्र दिनांक 05.01.2017 जो पेंश किया है से होती है। तहसीलदार राजगढ द्वारा भी अपनी जॉच रिपोर्ट प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो की पुष्टि करते हुये इस प्रकार का इन्द्राज दुरूस्त किया जाना उचित दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेज व जॉच रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ से प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्यो को सही होने की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थन पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट हाल आराजी विवादित ख0नं0 1481/0.14, 1482/0.33, 1488/2 रकबा 0.84, 1488/3 रकबा 0.84, 1490/0.20, 1491/0.23, 1496/0.08, 1497/0.07, 1501/0.24, ख0नं0 1462/0.41 , 1460/0.35, 1461/0.59, 1463/0.41, 1466/0.65, 1465/0.68, ख0नं0 1464/1.23, 1465/0.47, 1472/0.10, 1473/0.11, 1475/0.12, 1476/0.11, 1477/0.10, 1483/0.61, 1486/0.25, 1487/0.15, 1488/1 रकबा 0.84, 1489/0.19, 1498/0.07, 1500/0.56, 1505/0.06, 1506/0.04, 1563/0.16 ख0नं0 1471/0.22, 1459/0.06, 1468/0.02, 1469/2.11, 1470/0.04, 1484/0.06, 1485/0.05 व ख0नं0 1459/2404/0.22, 1467/0.18, 1468/2403/0.06, 1469/2405/1.26 वाके ग्राम राजपुर बडा तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है। हाल इन्द्राज खातेदारी में जो कम्पनी सुपर एक्सप्लोशिव प्रा0लि0 524, 526 सोमदत चैम्बर 11–9 भीखाजी कॉपलेक्स नई दिल्ली के साथ अधिकृत व्यक्ति अबदुल्ला रहमान पुत्र रहमान रसुल जाति मेव जी–98 लाल कुआ नई दिल्ली दर्ज है में से अधिकृत व्यक्ति अबदुल्ला रहमान पुत्र रहमान रसुल जाति मेव जी–98 लाल कुआ नई दिल्ली का नाम हजफ करने के आदेश तहसीलदार राजगढ को दिये जाते है तथा शेष इन्द्राज कम्पनी सुपर एक्सप्लोशिव प्रा0लि0 524, 526 सोमदत चैम्बर 11–9 भीखाजी कॉपलेक्स नई दिल्ली का नाम यथावत रखा जावें। तहसीलदार राजगढ को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)